विविध बैंक प्र0सं0 60/2017 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीरबल चौक, श्रीगंगानगर बनाम 1–मै0 हिमगिरी स्टील री रोलिंग मिल्स प्रो0 कुलदीप चंद गार्गी 13 सदर बाजार श्रीगंगानगर 2–कुलदीप चन्द गार्गी पुत्र श्री कृष्णचन्द गार्गी 13 सदर बाजार श्रीगंगानगर 3–श्रीमति संतोष गार्गी पत्नि श्री कुलदीप चन्द गार्गी 4–श्रीमति सन्तोष गोयल पत्नि श्री कृष्णकुमार गोयल 5–श्री कृष्णकुमार गोयल पुत्र श्री संतराम गोयल नि0 आरएसडी 11 रिधीसिधी फस्ट श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31–7–2017

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के अभिभाषक श्री विपिन सिद्ध उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में दिनांक 25.07.2017 सुनी जा चुकी है।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक का कथन था कि मै0 हिमगिरी स्टील री रोलिंग मिल्स जी–54 उद्योग विहार, रीको आद्योगिक क्षेत्र श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में चालीस लाख रूपये दिनांक 23.09.10 को व पचास लाख रूपये 18. 02.11 को कुल नब्बे लाख रूपये ऋण स्वीकृत किया गया था ऋण राशि जमा न करवाने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 21.03.16 को एन.पी.ए. घोषित किया गया है और अप्रार्थीगण को बैंक द्वारा धारा 13(2) का रजि0 नोटिस दिनांक 22.03.2016 को भिजवाया गया था किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी ऋण राशि जमा नही करवाई। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी सम्पति का भोतिक कब्जा पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के लिए प्रा0 पत्र पूर्व में पेश किया था जो दिनांक 08.05.17 को खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी बैंक द्वारा दिये गये शपथ पत्र में अंकित तथ्य कि अप्रार्थीगण को दिये गये नोटिस की तामील रजिस्ट्री डाक से हुई है जिसकी पुष्टि नही होती है। अतः उक्त अधिनियम के धारा 13(2) के तहत पुनः नोटिस जारी कर अधिनियम व नियमो के तहत विधिवत व उचित तरीके से तामील करवाकर अधिनियम के प्रावधानो की पूर्ण पालना करते हुए पुनः प्रकरण पेश करने के लिए स्वतन्त्रता दी गई।

उनका आगे कथन था कि चूंकि पूर्व में अप्रार्थीगण की तामील संबंधी रसीदें पेश नही कर सके थे। अब उनके द्वारा पुनः प्रा0 पत्र के साथ अप्रार्थीगण को भेजे गये धारा 13(2) के नोटिस की मूल रजिस्ट्री रसीदें व पोस्ट ऑफिस की तस्दीक कमांक 16581, 16584 दिनांक 23.06.17 पेश की हुई है। इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र दिनांक 06.07.17 ऑर्डर 47 नियम 1 को रिव्यु प्रा0 पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे और ऋण की एवज में बंधक रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थीगण को दिलवाया जावे।

रा।1।।
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैने विद्वान अभिभाषक श्री विपिन सिद्ध द्वारा दिये गये उक्त तर्को पर मनन किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र दिनांक 06.07.17 व इसके सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि पूर्व में प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया था जिसमें ऋण की एवज में अप्रार्थीगण की बंधक रखी गयी सम्पति का पुलिस की सहायता से भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गयी थी जो इस न्यायालय में विविध बैंक प्रकरण सं0 98/2016 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीरबल चौक श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स हिमगिरी स्टील री रोलिंग मिल्स, जी 54 उद्योग विहार, रीको ओद्योगिक क्षेत्र श्रीगंगानगर, कुलदीप चंद गार्गी वगैरा के रूप में दर्ज हुआ। जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2017 को निम्न आदेश पारित किया गयाः—

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा दिये गये शपथ पत्र में अंकित तथ्य कि अप्रार्थीगण की तामील रजिस्टर्ड डाक से हुई है, जिसकी पुष्टि उक्त विवेचन के अनुसार नही होती है। इसलिए अप्रार्थीगण पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील के अभाव में प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रा0 पत्र ऋण की एवज में रखी गई उक्त सम्पति का कब्जा दिलवाने संबंधी स्वीकार नही किया जा सकता। जब तक ऋणी एवं जमानतदारो पर उक्त अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बने नियम 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत धारा 13(2) के नोटिस की तामील नही हो जाती है। इसलिए प्रार्थी बैंक को निदेशित किया जाता है कि वह अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत विधिवत नोटिस जारी कर उक्त अधिनियम 2002 व उसके तहत बने नियम 2002 के तहत विधिवत व उचित प्रकिया के माध्यम से तामील करवाकर अधिनियम के प्रावधानो की पूर्ण रूप से पालना करते हुए पुनः प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रवली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। ह0 (ज्ञानाराम) जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

उक्त आदेश की प्रति भी जरिये कमांक 1312 दिनांक 14.06.17 के द्वारा प्रार्थी बैंक को पालना के लिए भिजवाई गई है जो बैंक द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 06.07.17 को एक नया प्रा0 पत्र पूर्व के जारी नोटिस धारा 13(2) की फोटो प्रतियां एवं डाक से भेजे गये नोटिसो की रजिस्ट्री रसीदें व डाक तार विभाग की तस्दीक कमांक 16581 व 16584 दिनांक 23.06.17 एवं अन्य दस्तावेजात की प्रतियां पेश करते हुए प्रार्थना की है

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

कि उनके प्रार्थना पत्र को आदेश 47 नियम 1 सीपीसी के तहत रिव्यू याचिका के रूप में माना जावे और उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण की एवज में रखी गयी सम्पति का भौतिक कब्जा दिलवाया जावे।

चूंकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 विशिष्ट अधिनियम है और इस अधिनियम में जबकि रिव्यू का कोई प्रावधान नही है तो क्या ऐसी अवस्था में प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र दिनांक 06.07.17 आदेश 47 नियम 1 सीपीसी रिव्यू के रूप में सुनवाई के लिए ग्रहण करने योग्य है अथवा नही? इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त AIR 2010 SUPREME COURT 3745 Kalabharati Advertising V/S Hemant Vimalnath Narichania and Ors. अवलोकनीय है जिसके पैरा 11 से 14 तक में निम्न प्रकार से **तय किया गया है:—**

11. We have considered the rival submissions made by both the parties and perused the record.

<u>LEGAL ISSUES</u>:

<u>Review in absence of statutory provisions</u>:

12. It is settled legal proposition that unless the statute/rules so permit] the review applications is not maintainable in case of judicial / quasi-judicial orders. In absence of any provisions in the Act granting an express power of review, it is manifest that a review could not be made and the order in review, if passed is ultra vires , illegal and without juridiction. (Vide: Patel Chunibhai Dajibha V. Narayanrao Khanderao Jambekar & Anr., AIR 1965 SC 1457; and Harbhajan singh v. Karam singh & Ors., AIR 1966 SC 641)

13. In Patel Narshi Thakershi & Ors. v. Shri Pradyuman Singhji Arjunsinghji, AIR 1970 SC 1273; Maj. Chandra Bhan Singh v. Latafat Ullah Khan & Ors., AIR 1978 SC 1814; Dr. Smt. Kuntesh Gupta v. Management of Hindu Kanya Mahavidhyalaya, Sitapur (U.P.) & Ors., AIR 1987 SC 2186; State of Orissa & Ors. v. Commissioner of Land Records and Settlement, Cuttack & Ors., (1998) 7SCC 162 : (AIR 1998 SC 3067 : 1998 AIR SCW 2975); and sunita Jain v. Pawan Kumar Jain & Ors., (2008) 2 SCC 705, <u>this court held that the power to review is not an inherent Power. It must be conferred by law either expressly/specifically or by necessary implication and in absence of any provision in the Act/Rules, review of an earlier order is impermissible as review is a creation of statute. Jurisdiction of review can be derived only from the statute and thus, any order of review in absence of any statutory provision for the same is nulity being without jurisdiction.</u>

<u>14. Therefore, in view of the above, the law on the point can be summarised to the effect that in absence of any statutory provision providing for review, entertaining an applicatio for review or under the garb of clarification/modification/ correction is not permissible.</u>

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि हस्तगत प्रकरण वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 08.05.2017 को आदेश 47 नियम 1 सीपीसी के तहत रिव्यू करने के संबंध में है और उक्त अधिनियम 2002 एक विशिष्ट अधिनियम है और इस अधिनियम में केवल अपील के प्रावधान है, रिव्यू का कोई प्रावधान नही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त **AIR 2010 SUPREME COURT 3745 Kalabharati Advertising V/S Hemant Vimalnath Narichania and Ors.** के अनुसार रिव्यू हेतु संबंधित अधिनियम में प्रावधान होने पर ही रिव्यू हो सकता है अन्यथा नही।

चूंकि उक्त अधिनियम 2002 में रिव्यू करने का कोई प्रावधान नही है। इसलिए इस न्यायालय के पूर्व आदेश 08.05.2017 के विरूद्ध प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत यह रिव्यू प्रा0 पत्र दिनांक 06.07.2017 सुनवाई के लिए ग्रहण करने योग्य न होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31—07—2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर